



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 867] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940  
No. 867] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1175(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 125 की उप धारा (7) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम 2017 की अनुसूची में सहायक महाप्रबंधक आईईपीएफ प्राधिकरण के पद से संबंधित, क्रमांक संख्या 2 के सामने स्तम्भ-12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, अध्यक्ष।
- महाप्रबंधक, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, सदस्य।
- निदेशक/उप-सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सदस्य।

[फा.सं. 05/19/14-आईईपीएफ]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः-** विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम 2017, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 46(अ) तारीख 18 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2018

**G.S.R. 1175(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017, in the Schedule against serial number (2) relating to the post of Assistant General Manager IEPF Authority, in column 12 for the entry, the following shall be submitted, namely :-

“The Selection Committee for deputation consists of:-

- (i) Chief Executive Officer, Investor Education and Protection Fund Authority, Chairman
- (ii) General Manager, Investor Education and Protection Fund Authority Member
- (iii) Director/ Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs member”.

[F. No. 05/19/14-IEPF]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

**Note:**—Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Part II section 3 sub section (i) *vide* number G.S.R 46(E) dated 18<sup>th</sup> January, 2017.